न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा।

आदेश प्रत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश प्रत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत

सन्दर्भित वाद संख्या 318/2013–14

कृतनारायण झा बनाम इन्द्रनारायण झा

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित

आदेश

उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत दावे प्रतिवादे का अनुशीलन किया तथा विद्वान अविक्ताओं को सुना।

विहित होता है कि उभय पक्ष आपस में खास सहोदर भाई है जिनके बीच मौजा ब्रहपुरा थाना अंचल मनीगाछी अन्तर्गत अधोलिखित व्योरें की भूमि को लेकर विवाद है:–

खाता	खेसरा	रकवा कुल	खरीदगी
48	1058	00–00–16	00–00–08–06 कनमा
48	764	00–10–10	00–02–09 –––
48	817	00–04–10	00–03–08–13 कनमा

आवेदक ने प्रश्नगत भूमि में अपना 1/2 Share निकालते हुए उसपर स्थानीय अंचल एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से दखल कब्जा स्थापित कराने का अनुरोध किया है। आवेदक ने अपने वाद पत्र में अनुरोध किया है कि कुल रकवा के अंश खरीदगी भूमि को दो केवाला दस्तावेज दिनांक 18.07.1970 द्वारा दोनों भाईयों ने उदित नारायण झा एवं सूर्य नारायण झा से केवाला द्वारा प्राप्त किया है परन्तु विपक्षी ने खेसरा नं0:–764 एवं 817 को ट्रेक्टर से जोत दिया है तथा खेसरा नं0:–1058 जो आवासीय है सम्पूर्ण भाग को कब्जा कर लिया है।

विपक्षी का कहना है कि आवेदक इस वाद अन्तर्गत कोई भी अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते। विपक्षों ने एस. डी. एम. सदर दरभंगा के न्यायालय से द0 प्र0 स0 की धारा 144 के तहत वाद संख्या 1458/2008 में पारित आदेश दिनांक 24.10.2008 का हवाला देते हुए उल्लेख किया है कि विद्वान अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा पक्षकारों को सक्षम व्यवहार न्यायालय जाने का निदेश दिया गया है। जिसका अनुपालन आवेदक ने नहीं किया है, अतएव यह वाद खारिज के योग्य है विपक्षी ने इस वाद में Complex Question of Title involve होना बताया है तथा आवेदक के वाद को खारिज करने का अनुरोध किया है।

सुनवाई के दौरान आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया

07/08/14

गया कि अनुमंडल दंडाधिकारी सदर दरभंगा के न्यायालय में धारा 144 दं0 प्र0 सं0 अन्तर्गत वाद संख्या 385/05 प्रश्नगत भूमि के निमित चली थी जिससे विपक्षी को प्रश्नगत भूमि पर जाने से रोका गया था जो आदेश अबतक प्रभावी है। जबकि विपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत भूमि को लेकर आवेदक ने धारा 144 द्र0 प्र0 सं. अन्तर्गत वाद संख्या 1458/08 तथा धारा 145 दं0 प्र0 स0 वाद संख्य 2109 /08 दाखिल किया जो कार्रवाई 19.10. 2012 को समाप्त हो गई है। इस संदर्भ में आवेदक का कहना है कि उक्त वाद अन्तर्गत माननीय न्यायालय ने बिना किसी बंघकारी निदेश के वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी।

उभय पक्ष के दावे पर सुनने से इस वाद की प्रश्नगत भूमि पर दोनों भाईयों के विवाद के जड़ में स्वत्व के निर्धारण का जटिल प्रश्न संश्लिष्ट होना दृष्टिगोचर होता है। जिसका निदान सिर्फ सक्षम व्यवहार न्यायालय के क्षेत्रागार अन्तर्गत हीं संभव है, अतएव आवेदक को विद्वान अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा दिए गये निदेशों के आलोक में सक्षम न्यवहार न्यायालय के समक्ष हीं याचना करनी चाहिए थी। चुँकि इस न्यायालय को निष्पादित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है अतएवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर का होना स्पष्ट विमित होता है।

अतः BLDR Act 2009 की धारा 4(5) के तहत् प्रस्तुत कार्रवाई को Close (बंद) की जाती है तथा व्यक्ति पक्षकार को निदेशित किया जाता है कि अपने दावे के उपचार हेतु सक्षम व्यवहार न्यायालय के समक्ष याचना करने हेतु स्वतंत्र है।

इस आवेदन के साथ कार्रवाई समाप्त की जाती है। अभिलेख संचिकास्त करें।

लेखापित एवं शुद्धित

7/08/14

भु0 स0 उप समाहर्त्ता
सदर दरभंगा

7/08/14

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
सदर दरभंगा